



मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड

" तालीम घर " इस्लामी गेट, शाहजहानाबाद, भोपाल - 462001



क्र/म.प्र.म.बो./मदरसा-प्रकोष्ठ/2022/6।

भोपाल, दिनांक 18-02-2022

प्रति,

संशोधित

समस्त मदरसा प्रबंधक,
मध्यप्रदेश।

विषय:- शिक्षा सत्र 2022-23 हेतु मदरसों की मान्यता के नवीनीकरण संबंधी प्रक्रिया की संशोधित जानकारी एवं दिशा-निर्देश।

संदर्भ:- बोर्ड द्वारा जारी पत्र क्र/ म.प्र.म.बो./ मदरसा-प्रकोष्ठ/ 2022/27 भोपाल, दिनांक 19.01.22

विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्र में संशोधन कर लेख है कि शिक्षा सत्र 2022-23 हेतु मदरसों की मान्यता के नवीनीकरण के ऑनलाईन आवेदन करने की सुविधा एम.पी. ऑनलाईन के पोर्टल पर दिनांक **22.02.2022 से 21.03.2022 तक** के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। इस अवधि में समस्त मदरसे जिनकी मान्यता के नवीनीकरण की अवधि पूर्ण हो गई है उनके द्वारा ऑनलाईन आवेदन एम.पी. ऑनलाईन के पोर्टल पर किया जाना है जिसमें निम्नानुसार कार्यवाही की जाना है-

1. इस वर्ष से मदरसों की मान्यता के नवीनीकरण की प्रक्रिया में मदरसों के संचालन का निरीक्षण जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उनके जिले में कार्यरत जिला मदरसा प्रभारियों के माध्यम से कराया जाकर अनुशंसा सहित निरीक्षण प्रतिवेदन मदरसा बोर्ड कार्यालय में प्राप्त किया जाएगा।
2. मदरसों द्वारा यू-डाईस पोर्टल से डाउनलोड मदरसे की यू-डाईस पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की रव: प्रमाणित प्रति एवं स्वीकृति (Acknowledgement) की जानकारी मदरसा बोर्ड एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अनिवार्यतः जमा करना होगा।
3. मदरसे द्वारा समय शिक्षा पोर्टल से डाउनलोड यू-डाईस कोड से विद्यार्थियों की मैप SSSMID की कक्षावार सूची मदरसा बोर्ड एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अनिवार्यतः जमा करना होगी। इस सूची के आधार पर ही मदरसों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की जानकारी बोर्ड के रिकार्ड में संधारित की जाएगी एवं समय-समय पर वरिष्ठ कार्यालयों को उपलब्ध कराई जाएगी।
4. आवेदन करने के पात्र मदरसों की श्रेणी व शुल्क का विवरण इस प्रकार निर्धारित किया गया है-
 - 4.1 शिक्षा सत्र 2019 से 2022 तक मान्यता प्राप्त मदरसों को सामान्य मदरसों की श्रेणी में रखा गया है एवं इससे पूर्व के वह मदरसे जो किन्ही कारणों से सत्र 2018-19 एवं 2019-20 में आवेदन नहीं कर सके और कोविड-19 के संक्रमण की महामारी के कारण शिक्षा सत्र 2020-21 एवं 2021-22 में भी पोर्टल पर सुविधा नहीं मिलने के कारण आवेदन करने से वंचित रह गये हैं, उन मदरसों को गैप की श्रेणी में रखा जाकर आवेदन करने की पात्रता प्रदान की गई है। इन मदरसों को केवल वर्ष 2019 से 2025 तक का नवीनीकरण जारी किया जाएगा।
 - 4.2 मान्यता नवीनीकरण का श्रेणीवार शुल्क एवं अवधि विवरण इस प्रकार है-

आवेदन का प्रकार	निर्धारित शुल्क	जारी मान्यता की अवधि
सामान्य आवेदन	रु. 3000/-	शिक्षा सत्र 2022 से 2025 तक
गैप अवधि सहित आवेदन	रु. 6000/-	शिक्षा सत्र 2019 से 2025 तक

नोट- इसमें पोर्टल शुल्क एवं कक्षा स्तर वृद्धि शुल्क सम्मिलित नहीं है।

5. मदरसे को ऑनलाईन आवेदन से पूर्व निम्नलिखित दस्तावेज़ तैयार करना होंगे-
 - 5.1 यू-डाईस पुस्तिका की प्रति डाउनलोड कर मदरसा अध्यक्ष/सचिव की सील एवं हस्ताक्षर कराकर ऑनलाईन आवेदन में अपलोड करना होगा।
 - 5.2 समय शिक्षा पोर्टल पर मैप मदरसे के विद्यार्थियों की कक्षावार सूची डाउनलोड कर मदरसा अध्यक्ष/सचिव की सील एवं हस्ताक्षर कराकर ऑनलाईन आवेदन में अपलोड करना होगा।

निरंतर...2 पर।



मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड


“ तालीम घर ” इस्लामी गेट, शाहजहानाबाद, भोपाल - 462001



//2//

- 5.3 रजिस्ट्रार फर्म्स एण्ड सोसायटीज के अधीन पंजीकृत समिति की धारा-27 की नवीनतम अनुमोदित सूची की प्रति अथवा मदरसा बोर्ड में पंजीकृत समिति के वैध कार्यकाल के पंजीयन प्रमाण-पत्र की छाया प्रति / मदरसा समिति के नवीनीकरण के ऑनलाईन आवेदन की प्रति जमा करना होगी।
- 5.4 मदरसा भवन किराये का हो तो किराया-नामा (वैधानिक), अथवा निजी हो तो केवल बिजली का बिल आवेदन के साथ जमा करना होगा।
- 5.5 मदरसा भवन पर 5x3 फिट के साईन बोर्ड लगवायें जिसका प्रारूप मदरसों को जारी किए गए मान्यता प्रमाण-पत्र के पीछे अंकित है। अंकित प्रारूप के अनुसार मदरसे का साईन-बोर्ड तैयार करें जिसे निरीक्षणकर्ता द्वारा भी जांचा जाएगा।
- 5.6 मदरसा संचालन समिति के अध्यक्ष/सचिव का आधार-कार्ड एवं मोबाईल नम्बर उपलब्ध कराना होगा।
6. अन्य दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं-
- 6.1 मदरसे में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/तब्दीली तभी मान्य होगा जब वह निर्णय मदरसा प्रबंध समिति में पारित होगा और बोर्ड को इसकी विधिवत् सूचना उसी दौरान दी गई होगी।
- 6.2 शिक्षा सत्र 2016 से बोर्ड द्वारा मदरसे का नवीनीकरण 3 सत्रों के लिए जारी किया जाता है। ऐसे में बोर्ड द्वारा मदरसे की कक्षा स्तर वृद्धि एक साथ जारी की जाती है लेकिन मदरसा प्रति सत्र केवल 1 ही कक्षा की वृद्धि कर विद्यार्थियों को प्रवेश दे सकेगा।
- 6.3 मदरसा मान्यता नवीनीकरण के आवेदन की प्रक्रिया लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010 में अधिसूचित है और बोर्ड इस सेवा से प्राप्त आवेदन पर एक निश्चित अवधि में कार्यवाही करने हेतु प्रतिबद्ध है अतः ऑनलाईन आवेदन पश्चात उसकी हार्ड-कॉपी सम्पूर्ण दस्तावेजों सहित अविलम्ब मदरसा बोर्ड एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करने का दायित्व मदरसा प्रबंधक का रहेगा।
- 6.4 मदरसे से संपर्क हेतु मदरसा प्रबंधक अपना ही मोबाईल नम्बर आवेदन में डालें जिससे समय-समय पर मदरसे से संबंधित जानकारी हेतु SMS भेजा जा सके अथवा संपर्क किया जा सके।
- 6.5 ऑनलाईन आवेदन पश्चात् दो कवरींग लेटर मदरसा आवेदक की ओर से पोर्टल पर निर्मित होंगे जिसमें एक पत्र सचिव, मदरसा बोर्ड के नाम से एवं दूसरा पत्र जिला शिक्षा अधिकारी के नाम से उपलब्ध कराया जा रहा है। कियोस्क धारक से आवेदन के कवरींग पत्र अवश्य प्राप्त करें एवं सम्पूर्ण आवेदन (अनुलग्नकों सहित) दो प्रतियों में तैयार कर एक प्रति जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं दूसरी प्रति सचिव मदरसा बोर्ड हेतु मदरसा बोर्ड कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें।

अतः संशोधित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करें। एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क पर आवेदन करने की सुविधा दिनांक **22/02/2022 से 21/03/2022 तक** उपलब्ध कराई जा रही है, मदरसा प्रबंधक इस अवधि में ही आवेदन करना सुनिश्चित करें।


(एस.एस.एच. रिजवी)
संयुक्त संचालक लोक
शिक्षण एवं सचिव
म.प्र. मदरसा बोर्ड
भोपाल

निरंतर...3 पर।



मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड

" तालीम घर " इस्लामी गेट, शाहजहानाबाद, भोपाल - 462001



//3//

प्रतिलिपि:-

पृ.क्र./म.प्र.म.बो./मदरसा-प्रकोष्ठ/2022/62

भोपाल, दिनांक 18-02-2022

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म.प्र. की ओर भेजकर लेख है कि उक्त कार्यक्रम की सूचना का प्रचार-प्रसार अपने जिले के लोक प्रिय समाचार पत्र के माध्यम से करायें एवं जिला मदरसा प्रभारियों के माध्यम से जिले में संचालित समस्त मदरसों को इसकी जानकारी उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करें तथा की गई कार्यवाही से मदरसा बोर्ड को अवगत करायें।

श

(एस.एस.एच. रिज़वी)
संयुक्त संचालक लोक
शिक्षण एवं सचिव
म.प्र. मदरसा बोर्ड
भोपाल